प्रेस नोट थाना जलालाबाद

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 12/07/26

शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल कर धनराशि वसूलने तथा धमकी देने के अभियोग में फरार अभियुक्त को थाना जलालाबाद पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (महोदया) के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जलालाबाद पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.05.2026 को थाना जलालाबाद पर एक पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें अभियुक्त पठान आरिफ अहमद हसन पुत्र अहमद हसन पठान उर्फ भैय्याजी निवासी ग्राम मुड़िया आस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर पर शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने, ब्लैकमेल कर धनराशि अपने खाते में स्थानांतरित कराने तथा निकाह करने से इंकार करने का आरोप लगाया गया। साथ ही शिकायत करने पर अभियुक्त पठान आरिफ अहमद हसन, आमिर उर्फ बबुए, नाजिम हसन पुत्रगण अहमद हसन पठान उर्फ भैय्याजी तथा अहमद हसन पठान उर्फ भैय्याजी पुत्र जरुर खाँ, निवासीगण उपरोक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 69/352/351(3)/316(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सकतावत सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त पठान आरिफ अहमद हसन को दिनांक 10.07.2026 को समय लगभग 13:00 बजे गंजीफराक, रिलायंस बेकरी के निकट, थाना गोमतीपुर, जिला अहमदाबाद शहर (गुजरात) से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को माननीय ए.सी.जे.एम.-33, कोर्ट संख्या-18, अहमदाबाद के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 13.07.2026 समय 16:00 बजे तक का 03 दिवस का ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। ट्रांजिट रिमाण्ड पर अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना जलालाबाद लाया गया तथा दिनांक 11.07.2026 को आमद दर्ज कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

पठान आरिफ अहमद हसन पुत्र अहमद हसन पठान उर्फ भैय्याजी, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम मुड़िया आस, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 232/2026, धारा 69/352/351(3)/316(2) बीएनएस बनाम पठान आरिफ अहमद हसन पुत्र अहमद हसन पठान उर्फ भैय्याजी, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. व0उ0नि0 सकतावत सिंह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
2. रि0का0 अभिषेक पंवार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर